मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9–3/2012/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 06/04/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

**विषयः–भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने बाबत्।**

––0––

भूतपूर्व सैनिकों को राज्य शासन की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को होरिजेण्टल आरक्षण देने हेतु मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 अधिनियमित किया गया है। इसमें अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी, 1987 द्वारा नियम 6 में संशोधन कर भूतपूर्व सैनिकों की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता में शिथिलीकरण के प्रावधान किए गए है, जिसकी प्रति संलग्न है।

2/ राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों एवं चयन संस्थाओं द्वारा उक्त प्रावधानों का समुचित पालन नहीं करने के कारण भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित पदों पर आवेदन करने में कठिनाई हो रही है।

3/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रदत्त होरिजेण्टल आरक्षण के अनुसार पदों की पूर्ति की जाए।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ 9–3/2012/आप्र/एक. भोपाल, दिनांक 06/04/2013

**प्रतिलिपिः–**

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

## सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक २४ फरवरी १९८७

क. सी-३-३-८६-३-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, १९८५ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में—

१. नियम ६ में, उपनियम (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किये जायें, अर्थात्:—

"(२-क) तृतीय श्रेणी के पदों पर किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण ऐसा भूतपूर्व सैनिक, (जिस पद के अंतर्गत वह भूतपूर्व सैनिक भी आता है, जिसने भारतीय सेना शिक्षा विशेष प्रमाण-पत्र या नौ-सेना या वायु सेना का तत्स्थानी कोई प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त कर लिया है.) जिसने संघ के सशस्त्र बलों में १५ वर्ष से अन्यून सेवा की हो, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने का पात्र हो सकेगा जिनके लिये विहित आवश्यक शैक्षिक अर्हता स्नातक की उपाधि है, और जहां;

(क) तकनीकी या वृत्तिक प्रकृति के कार्य का अनुभव आवश्यक नहीं है, या

(ख) यद्यपि, गैर तकनीकी वृत्तिक कार्य का अनुभव होना आवश्यक है ऐसा विहित किया गया है, किन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भूतपूर्व सैनिक से, अल्प अवधि का कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उक्त पद के कर्तव्यों का पालन करने की आशा की जा सकती है."

"(२-ख) तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी आरक्षित रिक्ति में नियुक्ति के लिये जहां विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिक उत्तीर्ण है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं को ऐसे भूतपूर्व सैनिक के पक्ष में शिथिल कर सकेगा, जिसने भारतीय सेना वर्ग १ परीक्षा या नौ-सेना या वायु सेना की समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जिसने संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम १५ वर्ष तक सेवा की हो, और जो उसके अनुभव तथा अन्य अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए पद धारण करने के लिये अन्यथा उपयुक्त समझा गया हो."

२. नियम ६ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(६-क) चयन के लिये निम्नतर मानक.—सीधी भरती की दशा में, यदि भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को सामान्य मानक के आधार पर भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो भूतपूर्व सैनिकों का प्रवर्ग के अभ्यर्थियों का चयन शिथिल किये गये चयन मानक के अंतर्गत आरक्षित कोटा की कमी को पूरा करने के लिए इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए किया जा सकेगा कि ऐसा शिथिलीकरण ऐसे अभ्यर्थियों के कार्य वहन के स्तर को प्रभावित नहीं करेगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २४ फरवरी १९८७

क. सी-३-३-८६-३-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद २४८ के खण्ड (२) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क. सी-३-३-८६-३-एक, दिनांक २४ फरवरी १९८७ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 24th February 1987

F. No. C-3-3-86-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the State Civil Services and posts Class III and Class IV) Rules, 1985, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. in rule 6, after sub-rule (2), the following sub-rules, shall be inserted, namely :—

"(2-a) For appointment to any reserved vacancy in Class III posts, a matriculate Ex-servicemen (which term includes an ex-serviceman, who has obtained the Indian Army Special Certificate of Education or the corresponding certificate in the Navy or the Air Force), who

has put in not less than 15 years of service in the Armed Forces of the Union may be considered eligible for appointment to the posts for which the essential educational qualification prescribed is graduation and where,

(a) work experience of technical or professional nature is not essential ; or

(b) though non-technical professional work experience is prescribed as essential yet the appointing authority is satisfied that the ex-servicemen is expected to perform the duties of the post by undergoing on the job training for a short duration."

"(2-b) For appointment to any reserved vacancy in Class III and Class IV, where the prescribed minimum educational qualification is matriculation the appointing authority may, at his discretion, relax the minimum educational qualifications in favour of an ex-servicemen who has passed the Indian Army Class-I Examination or equivalent examination in the Navy or the Air Force, and who has put in at least 15 years of service in the Armed Forces of the Union and is otherwise considered fit to hold the post, in view of his experience and other qualifications."

2. after rule 6, the following rule shall be inserted, namely :—

"6A. Lower standard for selection.— In the case of direct recuitment, if sufficient number of candidates belonging to the ex-servicemen are not available basis of general standard to fill all the vacancies reserved for them, candidates belonging to the category of ex-servicemen may be selected under a relaxed standard of selection to make up the deficiency in the reserved quota subject to condition that such relaxation will not affect the level of performance by such candidates."

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,

K. N. SHRIVASTAVA, Dy. Secy

## उच्चशिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक २४ फरवरी १९८७

क्र. एफ-१२-१-८७-ए-१-अड़तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम, १९६७ में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन-क में,—

१. पैरा एक में खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(तीन) "कर्मचारीवृन्द" से अभिप्रेत है अशासकीय महाविद्यालयों के ऐसे प्राचार्य, समस्त कक्षाओं के अध्यापक कर्मचारीवृन्द, रजिस्ट्रार, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा खेल अधिकारी, जो उस हैसियत से उस समय कार्य कर रहे हैं जबकि महाविद्यालय शासन द्वारा लिया गया है और जिनकी नियुक्तियां, यथास्थिति, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्तियों के रूप में अनुमोदित हैं."

२. पैरा ३ में, खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाय, अर्थात्:—

"(पांच) कोई भी ऐसा व्यक्ति शासकीय सेवा में संविलयित नहीं किया जायेगा, जिसकी नियुक्ति भूतकाल में नियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति के रूप में यथास्थिति, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं हैं."

F. 12-1-87-A-1-XXXVIII.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in Madhya Pradesh Educational Service (Collegiate Branch) Recruitment, Rules, 1967, namely :—

### AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule III-A ,—

1. in paragraph 1, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely :—

"(iii) "staff" means the Principal, teaching staff of all classes, Registrar, Librarian and Sport Officer of Non Government College who are working as such at the time, when the college is taken over by Government and whose appointments are approved as a regular appointment by the Madhya Pradesh Uchha Shiksha Anudan Ayog or the University, as the case may be".

2. In paragraph 3, after clause (iv), the following clause shall be added, namely :—

"(v) No person shall be absorbed in Government Service whose appointment is not approved as a regular appointment by Madhya Pradesh Uchha Shiksha Anudan Ayog or the University as the case may be, in accordance with the relevant rules.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अ. द. मोहिले, विशेष अधि